Hindi 印度語

व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना

Comprehensive Social Security Assistance Scheme

आत्मनिर्भरता योजना के लिए सहायता Support for Self-reliance Scheme

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता भुगतानीय रोजगार के लिए समर्थ आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं की सहायता करता है।

Assists able-bodied Comprehensive Social Security
Assistance applicants / recipients to secure paid
employment to move towards self-reliance.

आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काम करना सबसे अच्छा तरीका है Working is the best way to achieve self-reliance



परिचय Introduction

आत्मनिर्भरता (SFS) योजना के लिए समर्थन व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (CSSA) योजना के तहत एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित समर्थ CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए रोजगार को सुरक्षित करते हुए सहायता करना है जिनकी आयु 15 से 64# वर्ष की है:

- (1) आवेदक / प्राप्तकर्ता बेरोजगार हैं या मासिक आय या कामकाजी घंटे समाज कल्याण विभाग (SWD) द्वारा निर्धारित स्तर से कम हैं (इसके बाद सामूहिक रूप से बेरोजगार CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित*); तथा
- (2) एकल माता-पिता और बच्चे की देखभालकर्ता जिनके पास 12 से 14 वर्ष की आयु के छोटे बच्चे हैं।

The Support for Self-reliance (SFS) Scheme is a programme under the Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme which aims to assist the following able-bodied CSSA applicants / recipients aged 15 to 64[#] to secure employment to move towards self-reliance while providing them with financial assistance:

- (1) applicants / recipients being unemployed or with monthly earnings or working hours less than the prescribed level set by the Social Welfare Department (SWD) (thereafter collectively referred to as unemployed CSSA applicants / recipients*); and
- (2) single parents and child carers with their youngest child aged 12 to 14.

#60 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के CSSA वयस्क स्वैच्छिक आधार पर SFS योजना में भाग ले सकते हैं और यदि वे इस योजना में शामिल नहीं होते हैं तो मंजूरी के अधीन नहीं होंगे।

*निवास की आवश्यकता और वित्तीय परीक्षणों को पूरा करने के अलावा, 15 से 59 वर्ष की आयु के बेरोजगार CSSA आवेदक / प्राप्तकर्ता को CSSA भुगतान प्राप्त करने की शर्त के रूप में SFS योजना में भाग लेना आवश्यक है।

*Able-bodied CSSA adults aged 60 to 64 may participate in the SFS Scheme on a voluntary basis and will not be subject to sanction if they do not join the scheme.

*In addition to satisfying the residence requirement and financial tests, an unemployed CSSA applicant / recipient aged 15 to 59 is required to participate in the SFS Scheme as a condition of receiving CSSA payment.

SFS योजना के घटक

SFS योजना का उद्देश्य CSSA आवेदकों / समर्थकों को उनके रोजगार में सुधार और रोजगार को सुरक्षित करने के मौके के लिए सहायता करना है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं:

- (1) रोजगार सहायता सेवा (EmSS)
- (2) उपेक्षित आय

संबंधित उपक्रम

CSSA प्राप्त करते समय उनके भुगतानीय रोजगार को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए SWD द्वारा कमीशन किए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा संचालित EmSS के तहत संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए 15 से 59 वर्ष की आयु के आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं को कार्य करने की आवश्यकता होती है। अपने दायित्व को स्वीकार करने के लिए, उन्हें यह दर्शाने के लिए एक रोजगार तलाशकर्ता उपक्रम पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है कि वे SFS योजना के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझते हैं।

रोजगार तलाशकर्ता उपक्रम में आवश्यकताओं के अनुपालन न

यदि 15 से 59 वर्ष की आयु के आवेदक / प्राप्तकर्ता रोजगार तलाशकर्ता उपक्रम पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देते हैं या रोजगार तलाशकर्ता उपक्रम में बताई गई किसी भी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहते हैं, SWD, बेरोजगार CSSA आवेदक / प्राप्तकर्ता के लिए यह करेगा:

- CSSA के लिए उसके आवेदन को संसाधित करना बंद करना;
- उसकी या उसके घर के अन्य सदस्यों की CSSA भुगतान की अनुमित खारिज कर दी जाएगी, यदि उसका CSSA के लिए आवेदन स्वीकृत हो गया है; तथा
- यदि अनुपालन न करने से उत्पन्न हो, तो अतिदेय CSSA भुगतान वापिस करने के लिए उससे अनुरोध किया जाएगा।

SWD 15 से 59 वर्ष के एकल माता-पिता और बाल देखभालकर्ताओं के, CSSA पर 12 से 14 वर्ष की आयु के अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ, CSSA भुगतान से प्रति माह \$200 की कटौती करेगा।

EmSS

SWD ने समर्थ CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं की कार्य-बाधाओं को दूर करने में सहायता करने ले लिए और उनके रोजगार में वृद्धि लाने के उद्देश्य से NGOs को EmSS संचालित करने के लिए कमीशन किया है ताकि वे पारिवारिक आधार पर एकीकृत रोजगार सहायता सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से जल्द से जल्द भुगतानीय रोजगार## प्राप्त कर सकें। सेवाओं में शामिल हैं:

- श्रम बाजार / नौकरी रिक्तियों / पुन: ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी सिहत, रोजगार खोजने के लिए कार्य योजना विकसित करने में मदद करने के लिए नियमित साक्षात्कार, नौकरी मिलान की व्यवस्था करना आदि सिहत, बेरोजगार CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं और 12 से 14 वर्ष की आयु के छोटे बच्चे के साथ CSSA पर एकल माता-पिता और बाल देखभालकर्ताओं को रोजगार सहायता सेवाएँ प्रदान करना;
- सामाजिक कार्य सेवा के माध्यम से पूर्वोक्त सेवा प्राप्तकर्ताओं के लिए समर्थन को मजबूत करना;
- पूर्वोक्त सेवा प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं का आंकलन करने और उन्हें पहले से निर्मित और केंद्रित रोजगार सहायता के लिए सेवाएँ प्रदान करना;
- CSSA पर एकल माता-पिता और बाल देखभालकर्ताओं को बच्चे की देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिसका छोटा बच्चा 12 से 14 वर्ष की आयु का है; तथा
- पूर्वोक्त सेवा प्राप्तकर्ताओं की सहायता करने के लिए कम से कम तीन महीने के लिए रोजगार के पश्चात सहायता सेवाएँ प्रदान करना, जिन्होंने रोजगार को बनाए रखने के लिए रोजगार प्राप्त किया है।

##15 से 59 वर्ष के उन बेरोजगार CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं के लिए जो SWD द्वारा निर्धारित स्तर से कम आय के साथ प्रति माह 120 घंटे से कम काम नहीं कर रहे हैं, या 60 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के समर्थ CSSA वयस्क जो प्रति माह 60 घंटे से कम काम नहीं कर रहे हैं, 12 से 14 वर्ष की उम्र के अपने छोटे बच्चे के साथ CSSA पर वो एकल माता-पिता और बच्चे की देखभाल करने वाले, जो प्रति माह 32 घंटे से कम नहीं काम कर रहे हैं, उन्हें SFS योजना में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है।

अस्वीकृत आय (DE)

CSSA प्राप्तकर्ताओं को सुरक्षित और रोजगार को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, CSSA योजना के तहत DE का प्रावधान है। DE की व्यवस्था इस प्रकार है:

- मासिक आय जो एक प्राप्तकर्ता को काम करने से प्राप्त होती है उसकी आंशिक रूप से निर्धारित सीमा तक अवहेलना होगी; तथा
- आय जो एक प्राप्तकर्ता को एक नई नौकरी से प्राप्त होती है, रोजगार के प्रारंभिक चरण के दौरान एक निर्धारित अवधि के लिए इसकी पूरी तरह से अवहेलना होगी, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता ने पिछले दो वर्षों के दौरान इस लाभ का आनंद नहीं लिया है।

काम पहला सिद्धांत

SWD उन लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्वयं का समर्थन नहीं कर सकते। बेरोजगार समर्थ CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं को यह पहचानना चाहिए कि वित्तीय कठिनाई की अविध में उन्हें सहायता करने के लिए CSSA का अनुदान केवल एक अस्थायी उपाय है। सिक्रिय रूप से रोजगार खोजने और रोजगार बनाए रखने के लिए और खुद को और उनके परिवार की सहायता के लिए सार्वजिनक कोष पर उनके परिवार की निर्भरता को कम करने के लिए और उन्हें प्रदान की गई रोजगार सहायता सेवाओं के माध्यम से आत्मिनर्भर बनना समर्थ CSSA आवेदकों / प्राप्तकर्ताओं का दायित्व है।

अपील

यदि कोई आवेदक SWD द्वारा किए गए निर्णय से असहमत है, तो उसे सामाजिक सुरक्षा अपील बोर्ड में अपील करने का अधिकार है। SWD द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। अपील प्रक्रियाओं के बारे में किसी भी सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट में पूछताछ की जा सकती है।

पूछताछ

SFS योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृप्या http://www.swd.gov.hk पर SWD के होमपेज पर जाएँ या निकटतम सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र इकाई में पूछताछ करें। आप विभागीय हॉटलाइन से 2343 2255 पर फोन करके या 2763 5874 पर क्स द्वारा या swdenq@swd.gov.hk पर ईमेल भेजकर संपर्क कर सकते हैं।

Components of the SFS Scheme

The aim of the SFS Scheme is to assist able-bodied CSSA applicants / recipients to improve their employability and the chance to secure employment. The scheme comprises of two components:

- (1) Employment Support Services (EmSS)
- (2) Disregarded Earnings

Related undertaking

Applicants / recipients aged 15 to 59 are required to undertake to participate in related activities under the EmSS operated by the non-governmental organisations (NGOs) commissioned by the SWD to help them secure paid employment while receiving CSSA. To acknowledge their obligation, they are required to sign a Job Seeker's Undertaking to indicate that they fully understand their obligations to comply with all the requirements under the SFS Scheme.

Consequences of non-compliance with the requirements in the Job Seeker's Undertaking

If an applicant / a recipient aged 15 to 59 refuses to sign the Job Seeker's Undertaking or fails to comply with any of the requirements stated in the Job Seeker's Undertaking, the SWD will, for the unemployed CSSA applicant / recipient:

- cease processing his / her application for CSSA;
- terminate further CSSA payment to him / her and other members of his / her household if his / her application for CSSA has been approved; and
- request him / her to repay overpaid CSSA payment, if any, arising from the non-compliance.

Also, the SWD will deduct \$200 per month from the CSSA payment of the single parents and child carers aged 15 to 59 on CSSA with their youngest child aged 12 to 14.

EmSS

The SWD has commissioned NGOs to operate the EmSS with a view to assisting able-bodied CSSA applicants / recipients to overcome work barriers and enhance their employability so that they can find paid employment** as soon as possible through the provision of integrated employment support services on a family basis. The services include:

- to provide unemployed CSSA applicants / recipients and single parents and child carers on CSSA with their youngest child aged 12 to 14 with employment support services, including information on labour market / job vacancies / retraining courses, regular interviews to help them develop action plans to find employment, arranging job matching, etc.;
- to strengthen support for the aforesaid service recipients through social work service;
- to assess the needs of the aforesaid service recipients and provide them with tailor-made and focussed employment support services;
- to provide information on child care to single parents and child carers on CSSA whose youngest child is aged 12 to 14; and
- to provide post-employment support services for at least three months to assist the aforesaid service recipients who have secured employment to sustain employment.

**For those unemployed CSSA applicants / recipients aged 15 to 59 who are working no less than 120 hours per month with earnings no less than the prescribed level set by the SWD, or those able-bodied CSSA adults aged 60 to 64 who are working no less than 60 hours per month, as well as those single parents and child carers on CSSA with their youngest child aged 12 to 14 who are working no less than 32 hours per month, they need not to participate in the SFS Scheme.

Disregarded Earnings (DE)

With the objective of encouraging CSSA recipients to secure and sustain employment, there is a provision of DE under the CSSA Scheme. The arrangements for DE are as follows:

- monthly income that a recipient earns from working will be partially disregarded up to a prescribed limit; and
- income that a recipient earns from a new job will be totally disregarded for a prescribed period during the early stage of employment, provided that the recipient has not enjoyed this benefit during the past two years.

Work First Principle

The SWD is committed to providing a safety net for those who cannot support themselves. Unemployed able-bodied CSSA applicants / recipients should recognise that the granting of CSSA is only a temporary measure to assist them to tide over a period of financial hardship. Able-bodied CSSA applicants / recipients have the obligation to actively find and sustain employment and support themselves and their family to reduce their / their family's dependence on public funds and to become self-reliant through the employment support services provided to them.

Appeals

If an applicant disagrees with a decision made by the SWD, he / she has the right to lodge an appeal at the Social Security Appeal Board. An appeal must be lodged within four weeks from the date of the notification issued by the SWD. Enquiries about appeal procedures can be made at any Social Security Field Unit.

Enquiries

For more information about the SFS Scheme, please visit the SWD Homepage at http://www.swd.gov.hk or make enquiry at the nearest Social Security Field Unit. You may also contact the Departmental Hotline by phone at 2343 2255, by fax at 2763 5874 or send an email to swdenq@swd.gov.hk.